

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 जनवरी 2019—माघ 1, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2019

क्र. एफ-ए-3-12-2018-1-पांच-(02).—आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर—

- (i) इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-55-2017-1-पांच (103), दिनांक 15 सितम्बर 2017 में; और
- (ii) इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-12-2018-1-पांच (34), दिनांक 24 मार्च 2018, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा के परंतुक में “जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018” और “31 दिसंबर, 2018” शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः “जुलाई, 2017 से फरवरी, 2019” और “31 मार्च, 2019” शब्द और अंक रखे जाएंगे.

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से प्रवृत्त समझी जायेगी.

पवन कुमार शर्मा, राज्य कर आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2019

क्र. एफ-ए-3-12-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-12-2018-1-पांच(02), दिनांक 21 जनवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 21st January 2019

No. F A-3-12-2018-1-V(02).—In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) read with sub-rule (5) of Rule 61 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments—

- (i) in this department notification No. F-A-3-55-2017-1-V(103), dated 15th September 2017; and
- (ii) in notification No. F-A-3-12-2018-1-V(34), dated the 24th March 2018, namely:—

In the said notifications, in the first paragraph, in the proviso, for the words, figures and letters “July, 2017 to November, 2018” and “31st day of December, 2018”, the words, figures and letters “July, 2017 to February, 2019” and “31st day of March, 2019” shall be respectively substituted.

2. This notification, shall deemed to have come into effect from 31st December 2018.

PAWAN KUMAR SHARMA, Commissioner of State Tax.